न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0– 29/2015

रणजीत सिह पुत्र जितेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी उदासर हाल आबाद धावड़िया मालियो का बास बीकानेर

.....अपीलाण्ट.....

–:बनाम:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर ....रेस्पोडेंन्टस .....

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अपीलाण्ट।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक–17/01/2020

यह अपील दिनांक 24.09.2015 को जरिये वकील प्रस्तुत कर वाके ग्राम रोही चक 10 बीएसएम के मु.न.157/31 व 157/39 एवं 11 बीएसएम के मु.न. 157/32,157/40 व 159/25 की 58 बीघा भूमि की 1/3 हिस्से खातेदारी भूमि का इंतकाल तहसीलदार द्वारा विरासतन किया गया ,उक्त रकबा हेतु गिरदावर हल्का द्वारा गैर खातेदारी की रिपोर्ट करने पर निरस्त किया गया को निरस्त करने बाबत् अपील प्रस्तुत की है। जिसमें सुंसगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उदासर हाल चक 10 बीएसएम के मु.न.157/31 के किला न.25 की 1 बीघा कमाण्ड किला न.6 ,15 ता 17 ,23,24 की 6 बीघा अनकमाण्ड कुल 7 बीघा एवंम 157/39 के किला न.21 ता 23 की 3 बीघा कमाण्ड व 2 , 8 ता 13,18 ता 20 की 10 बीघा अनकमाण्ड कुल 20 बीघा तथा चक 11 बीएसएम के मु.न.157/32 के किला न.2 ता 20 ,22 ता 25 की 23 बीघा कमाण्ड व किला न.1 की 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 24 बीघा एवं मु.न. 157/40 के किला न.1 ता 3, 8 ता 13 ,20,21 की 11 बीघा कमाण्ड एवं मु.न. 158/25 किला न.3 ता 5 की 3 बीघा कमाण्ड इस प्रकार दोनो चकों की 58 बीघा कमाण्ड,अनकमाण्ड खातेदारी भूमि अमरसिह पुत्र भभूतसिंह 1/3 हिस्सा, महेन्द्रसिह पुत्र जोरावरसिह 1/3 हिस्सा व जितेन्द्रसिंह ,जोगेन्द्रसिंह,अजीतसिह ,जीवराजसिह,प्रतापसिह पिसरान खीवसिंह 1/3 हिस्सा बराबर–बराबर जाति राजपूत निवासी गांव उदासर के धारण में चली आ रही थी। अमरसिह पुत्र भभूतसिह के कोई औलाद नही थी और उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपनी 10 व 11 बीएसएम की

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

58 बीघा की 1/3 हिस्से की जमीन जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15.5.07 से रणजीतसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह के पक्ष में तरदीक करवा दी। अपीलान्ट के दादा अमरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 12.7.2013 को होने के फलस्वरूप अपीलाट द्वारा वसीयत की प्रति सहित वसीयत के आधार पर इंतकाल हेतु तहसीलदार बीकानेर को निवेदन किया। तहसीलदार द्वारा विधिवत् जांच उपरान्त दिनांक 25.2.2014 को वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता की खातेदारी भूमि का इंतकाल अपीलांट रणजीत पुत्र जितेन्द्रसिह के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 25.2.2014 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल भरकर दिनांक 5.7.14 को भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर गिरदावर हल्का ने तहसीलदार बीकानेर के निर्णय दिनांक 25.2.14 का अवलोकन किये बिना ही यह रिपोर्ट कर दी की गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती का नोट अंकित किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट न.1 तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.2.14 का अवलोकन किये बिना ही भू–अभिलेख निरीक्षक के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 25.3.15 को उक्त निर्णय निरस्त कर दिया। तहसीलदार बीकानेर एवं सहायक शिविर प्रभारी विशेष अभियान 2006 में दिनांक 1.2.2006 को आरटीए की धारा 15 एएए (2)क के तहत उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात् भी पटवारी हल्का द्वारा उक्त खातेदारी का अमल दरामद नही किया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है और इसका दण्ड काश्तकार को नही मिल सकता। अतः खातेदारी दिनांक 1.2.2006 की पालना करवायी जानी आवश्यक है। तहसीलदार बीकानेर ने वसीयत के निर्णय दिनांक 25.2.2014 में प्रश्नगत भूमि को खातेदारी मानते हुए वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार मातहत् अदालत के निर्णय दिनाक 23.3.15 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष मे की गयी वसीयत की अनुपालना में चक 10 बीएसएम के मु.न.157/31 व 157/39 एवं 11 बीएसएम के मु.न. 157/32,157/40 व 159/25 की 58 बीघा भूमि की 1/3 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया और साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत अपील Subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 3.8.17 को रेस्पो. स्टेट उपस्थित आने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उक्त अपील पर बहस सुनी गई। जिसमें वकील अपीलांट द्वारा अपील को दोहराते हुए कथन किया की प्रकरण में तहसीलदार बीकानेर द्वारा वसीयत प्रकरण में दिनाक 25.2.2014 को निर्णय पारित किया गया की विवादित भूमि जोरावरसिह ,अमरसिह पिसरान भबूतसिंह को दिनांक 01.02.2006 को कैम्प ग्राम पंचायत उदासर में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के फलस्वरूप खातेदार मानते हुए। इंतकाल दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

करने के आदेश पारित किये गये की पालना की जावे। जबकि गिरदावर हल्का द्वारा इंतकाल पर गैर खातेदार होने की रिपोर्ट की गयी है। जो गलत की गयी है। चूंकि 1.2.2006 को प्रशनगत भूमि को खातेदारी घोषित किया जा चुका है। अतः उक्त खातेदारी आदेश का अमलदारामद करवाकर वसीयत के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 25.2.14 की पालना करवायी जावे। पैरोकार राज द्वारा दौराने बहस कथन किया की राज्यहित को मध्यनजर रखते हुए नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे।

हमने बहस सुनी बहस एवं रिकार्ड का अध्ययन किया। सर्वप्रथम मियाद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निर्णय करते है। अपीलांट ने धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों मे यह कहा है कि जहां तक हो किसी वाद/अपील का निर्णय मैरिट पर होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर अपील दायर करने में हुवे विलम्ब को माफ किया जाता है। प्रकरण में वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज हुआ है। यह भू राजस्व अधिनियम एवं अन्य सुंसगत कानून मे यह धारणा है कि विरासतन नामान्तकरण तभी दर्ज किया जाना चाहिए। यदि गुजरने वाले व्यक्ति का निर्वसीयती देहान्त हो जाये। यदि कोई वसीयत है तो उस पर विचार कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में अपीलांट का वसीयत को पेश करना ही पर्याप्त है। इसकी सत्यता,वैधानिकता एवं अन्य पहलुओं की जांच ट्रायल कोर्ट द्वारा की जानी है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार कोर्ट के आदेश दिनांक 25.2.2014 में यह वर्णित है कि उन्होने वसियत की आम सुचना दैनिक युगपक्ष में दिनांक 14.12.2013 को किया। जिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। अतः यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। उक्त आदेश में पैरा संख्या 2 में पटवारी हल्का के रिपोर्ट अनुसार खसरा गैर खातेदारी होना दर्ज है। जबकि तहसीलदार के आदेश में वसीयतकर्ता की खातेदारी भूमि का अंकन है। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए। यह न्यायालय तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.2.2014 को खारिज कर रिमाण्ड पर इस आश्य के साथ देती है कि वह खसरे की पूर्ण जांच कर न्यायहित में फैसला करे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया कैजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 15:20:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: